संख्या-104/2021/2097/26-3-2021

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 02 सितम्बर 2021

विषयः-**चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-81 में केन्द्रपुरोनिधानित पूर्वदशम (कक्षा 9 व 10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 की लम्बित देयता एवं वर्ष 2021-22 के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-114/13/ज0जा0वि0/के0पु0पूर्वदशमछा0/2021-22, दिनांक-29.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार से केन्द्रांश की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्र पुरोनिधानित पूर्वदशम कक्षा 9 व 10 छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत वर्ष 2020-21 की लम्बित देयता की पूर्ति हेतु रू0 27.16 लाख एवं वित्तीय वर्श 2021-22 की देयता की पूर्ति हेतु रू0 31.29 लाख कुल रू0 58.45 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-''2225-02-796-01-0109-अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम कक्षा 9 व 10 छात्रवृत्ति (के.100/रा.0)-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन' में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा केन्द्रपुरोनिधानित पूर्वदशम (कक्षा 9 व 10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-88.17 लाख में से वर्ष 2020-21 की लम्बित देयता की पूर्ति हेतु रू0-27.16 लाख, वर्ष 2021-22 की देयता की पूर्ति हेतु रू0-31.29 लाख अर्थात **कुल धनराशि रू0-58.45 लाख (रूपया अट्ठावन लाख पैतालीस हजार मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(3)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22 मार्च 2021 तथा में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(6)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(7)-स्वीकृत धनराशि का भुगतान योजना की नियमावली एवं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।

(8)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(9)-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-21 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-''2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0109-अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम कक्षा 9 व 10 छात्रवृत्ति (के.100/रा.0)-21-छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन '' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-964-दस-2021-22 दिनांक-02.09.2021 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

राकेश कुमार सचान
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0संख्या-104/2021/2097 (1)/26-3-2021-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।

2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।

6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

भवदीय

राकेश कुमार सचान
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।